



2026:CGHC:9337

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध दण्डिक प्रकरण क्रमांक-1511/2026

- ◆ आरिफुल हक पिता-नसीमुल हक, उम्र-लगभग 24 वर्ष, निवासी-ग्राम टोला, पुलिस थाना-धुरकी, जिला-गढ़वा, झारखंड (प्रश्नाधीन निर्णय में राज्य 'छत्तीसगढ़' अंकित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है)

-----आवेदक/अभियुक्त

विरुद्ध

- ◆ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सनावल, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी/राज्य

सहित

विविध दण्डिक प्रकरण क्रमांक-1558/2026

- ◆ जमील अंसारी पिता-नसीमुल हक, उम्र-लगभग 41 वर्ष, निवासी-ग्राम खाला टोला, सेराजनगर, पुलिस थाना-धुरकी, जिला-गढ़वा, झारखंड (प्रश्नाधीन निर्णय में राज्य 'छत्तीसगढ़' अंकित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है)

-----आवेदक/अभियुक्त

विरुद्ध

- ◆ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सनावल, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी/राज्य

सहितविविध दण्डिक प्रकरण क्रमांक-1563/2026

- ◆ हमिदुल हक उर्फ हमिद पिता-नसीमुल हक, उम्र-लगभग 20 वर्ष, निवासी-ग्राम खाला टोला, सेराजनगर, पुलिस थाना-धुरकी, जिला-गढ़वा, झारखंड (प्रश्नाधीन निर्णय में राज्य 'छत्तीसगढ़' अंकित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है)

-----आवेदक/अभियुक्त

विरुद्ध

- ◆ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सनावल, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी/राज्य

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा : श्री ऋषिकांत महोबिया, अधिवक्ता ।

राज्य/उत्तरवादी द्वारा : श्री अनीश तिवारी, उप शासकीय अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश**!! आदेश पीठ पर पारित !!**23/02/2026

1. उपरोक्त तीनों नियमित जमानत आवेदन एक ही अपराध क्रमांक से संबंधित होने के कारण, इनका निराकरण इस संयुक्त आदेश के माध्यम से किया जा रहा है ।
2. धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत यह आवेदकगण/अभियुक्तगण का प्रथम जमानत आवेदन है, जिसके माध्यम से आवेदकगण/अभियुक्तगण ने पुलिस थाना-सनावल, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ के अपराध क्रमांक-27/2025 अंतर्गत धारा-103(1), 109, 121(1), 132, 221, 61(2), 3(5),

303(2), 238, 249 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा-33(1)(ख), 52 भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं धारा-04/21 खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 के मामले में जमानत देने का निवेदन किया है।

3. विचारणीय घटना में कुल-11 अभियुक्तगण में से एक अभियुक्त एनुल हक फरार हैं। 06 अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है। एक सह अभियुक्त उपेन्द्र कोरवा की जमानत खारिज हुई है और 03 सह अभियुक्तगण का जमानत आवेदन विचारणीय है।
4. घटनाक्रम के अनुसार अभियुक्तगण, आपराधिक षड्यंत्र के तहत सम्मिलित रहते हुए ट्रैक्टर, हाईवा/ट्रक, जेसीबी मशीन आदि के माध्यम से कन्हर नदी से अवैध रूप से रेत/गिट्टी का उत्खनन करते थे। इस अवैध गतिविधि का विरोध गांव वाले करते थे, साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा भी अभियुक्तगण को रेत उत्खनन से रोका जाता था, किंतु अभियुक्तगण नहीं मानते थे। उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक यह तय किया था कि यदि रेत निकालने या ले जाने के दौरान स्थानीय प्रशासन या पुलिस आए तो उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाए। इसी षड्यंत्र के तहत, दिनांक-11/05/2025 की रात लगभग 10 बजे, कन्हर नदी के लिबरा घाट से रेत भरकर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में ला रहे थे। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक दिव्यकांत पाण्डेय हमराह आरक्षक क्रमांक 809 शिवबचन सिंह (मृत), आरक्षक क्रमांक 766 अमृत सोनवानी, आरक्षक क्रमांक 794 प्रदीप सिंह परमार, वाहन चालक अमजद खान तथा वन विभाग के कर्मचारी रूप प्रसाद (वनपाल), रामकुमार यादव (वनरक्षक) आदि मौके पर पहुंचे। तब सह-अभियुक्तगण उपेन्द्र कोरवा (जमानत आवेदन खारिज), आरिफुल हक (विचारणीय आवेदक) और हमिदुल हक उर्फ हमिद (विचारणीय आवेदक) द्वारा उनपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कुछ लोग बच

गए किंतु आरक्षक शिवबचन सिंह ट्रैक्टर के नीचे दब गया और गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सभी अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गए। उसी रात (11 व 12/05/2025 की दरम्यानी रात) निरीक्षक दिव्यकांत पाण्डेय की रिपोर्ट पर थाना-सनावल में अपराध क्रमांक-27/2025 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के बयान लिए गए, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि जब्त की गई, मौका नक्शा तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत दिनांक-06/08/2025 को अभियोगपत्र पेश किया गया।

5. अभियुक्तगण/आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त हमिदुल हक उर्फ हमीद का नाम प्रथम सूचना पत्र तथा धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज गवाहों के कथन में नहीं है। वह दिनांक 16/05/2025 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। यह भी तर्क दिया गया है कि उसका प्रकरण सह-अभियुक्त शकील अंसारी के प्रकरण के समरूप है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के संबंध में केवल ट्रैक्टर की जब्ती दर्शायी गई है। उनका आगे तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त जमील अंसारी एवं आरिफुल हक दिनांक 14/05/2025 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 28 साक्षियों का उल्लेख किया गया है, किन्तु अभी तक किसी भी साक्षी का परीक्षण प्रारंभ नहीं हुआ है। विचारण में समय लगना संभावित है। अतः उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण जमील अंसारी एवं आरिफुल हक का नाम प्रथम सूचना पत्र के

साथ-साथ धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज साक्षियों के कथन में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। अभियुक्त आरिफुल हक घटना के समय एक ट्रैक्टर का चालक था। इसी प्रकार, अभियुक्त हमिदुल हक उर्फ हमीद भी ट्रैक्टर का चालक था, अतः उसका प्रकरण शकील अंसारी के प्रकरण के समरूप न होकर भिन्न प्रकृति का है। प्रकरण केवल रेत चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि कथित घटना स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस दल के विरुद्ध की गई है। अभियुक्तगण लम्बे समय से संबंधित क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन करते आ रहे हैं, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुँच रहा है। उक्त घटना में आरक्षक शिवबचन सिंह की मृत्यु ट्रैक्टर से कुचलकर की गई है। अभियुक्तगण को विधि का कोई भय नहीं है। घटना के पाँच प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं तथा अभियुक्तगण/आवेदकगण का क्षेत्र में आपराधिक प्रभाव भी है। अतः अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किए जाने पर समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा अभियुक्तगण के मनोबल में वृद्धि होने की संभावना है। इस कारण उनका जमानत आवेदन निरस्त किया जाये।

7. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया तथा अभिलेख व केस डायरी का परिशीलन किया गया।
8. उक्त घटनाक्रम में जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से अवैध उत्खनन किया जा रहा था, उस अवैध उत्खनन के दौरान जब पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया गया, तब पुलिस कर्मियों को दौड़ाया गया तथा एक आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। आवेदक/अभियुक्त हमिदुल हक उर्फ हमीद का प्रकरण सह-अभियुक्त शकील अंसारी के प्रकरण से भिन्न है, क्योंकि घटना के समय अभियुक्त हमिदुल हक उर्फ हमीद स्वयं एक वाहन का चालक था। उसका प्रकरण सह-अभियुक्त शकील अंसारी के स्थान पर उपेन्द्र

कोरवा के समरूप प्रतीत होता है, जिसका जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। उपेन्द्र कोरवा भी वाहन का चालक था तथा वाहन द्वारा ही पुलिस आरक्षक की मृत्यु कारित की गई थी। अन्य वाहन के चालक आवेदक/अभियुक्त आरिफुल हक का नाम प्रथम सूचना पत्र के साथ-साथ धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज साक्षियों के कथनों में भी उल्लिखित है। इसी प्रकार, आवेदक/अभियुक्त जमील अंसारी का नाम भी प्रथम सूचना पत्र तथा पुलिस कथन में वर्णित है।

9. ऐसी स्थिति में, संकलित साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण हमिदुल हक उर्फ हमीद, जमील अंसारी एवं आरिफुल हक का प्रकरण जमानत योग्य नहीं पाया जाता। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण का नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।
10. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रतिलिपि यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

सही/-

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश